रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275699
CG-DL-E-24082026-275699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4446]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948
No. 4446]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

का.आ. 4627(अ).—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2024 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) तथा 2017(2017 का 21) एवं जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 संख्या 18, 2023 में यथा संशोधित की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद द्वारा एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जिसे इसके आगे 'वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2025-26' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, के माध्यम से अनुसूची-I में उल्लिखित ब्योरे के अनुसार विनिर्माण तथा इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देता है।

2. इसके अलावा, मंत्रालय उपर्युक्त निर्देशों के संदर्भ में अनुसूची-II में उल्लिखित व्यक्तियों और साथ ही कार्यालय में उनके नामितियों को सांख्यिकी अधिकारी, अनुसूची-III में न्यायनिर्णायक अधिकारी और अनुसूची-IV में अपीलीय प्राधिकारी, उसमें दी गई भौगोलिक इकाइयों के संबंध में नियुक्त करता है । प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी, निर्धारित प्रारूप, अर्थात् सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के साथ संलग्न प्रपत्र-I, में अपर महानिदेशक, क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दिल्ली को तत्काल एक वचनबद्ध प्रस्तुत करेंगे।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2024 के साथ संलग्न फार्म-I नामक निर्धारित प्रपत्र में भरा गया वचनबन्ध सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात प्रपत्र में सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, तत्संबंधी रिकॉर्डों की जांच, और जैसा भी आवश्यक हो, स्पष्टीकरण मांगने के लिये, सांख्यिकी अधिकारी के भौगोलिक कार्यक्षेत्र में नियुक्त किये जाएंगे । इन कर्तव्यों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति फोटो पहचान पत्र अथवा

संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र अपने साथ रखेगा । सांख्यिकी अधिकारी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत वचनबन्ध को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा उपरोक्त वचनबन्ध प्राप्त करने का प्रमाण पत्र अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दिल्ली को अग्रेषित करेगा।

4. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) अनुसूची के भाग I में एकत्र किए गए आंकड़े, उचित सत्यापन और जांच के बाद, अपर महानिदेशक, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग, कोलकाता के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा तथा वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) अनुसूची के भाग II में एकत्रित आंकड़ो को श्रम ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा I सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 तथा 2017(2017 का 21) एवं जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 संख्या 18, 2023 में यथा संशोधित के प्रावधानों तथा सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से उत्पादित डाटा से तैयार ईकाई स्तरीय आंकडे एवं रिपोर्टें मन्त्रालय के उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग तथा डेटा सूचना और नवाचार प्रभाग और श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय के अन्तर्गत श्रम ब्यूरो की अभिरक्षा में रखे जाएं तथा उनके द्वारा सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार सरकार तथा सरकार के बाहर के प्रयोगकर्ताओं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा आम जनता के प्रयोग हेतु प्रसारित किया जाए।

5. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2025-26 से सम्बंधित किसी भी कार्यकलाप, जैसे आंकडा संग्रहण, आंकडा प्रसंस्करण तथा प्रचार प्रसार में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 तथा 2017(2017 का 21) एवं जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 संख्या 18, 2023 में यथा संशोधित और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2024 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होंगे ।

6. **सांख्यिकी अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं:**

(क) सांख्यिकी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार आंकडा संग्रहण के लिए, व्यवसाय संबंधी रिकार्ड तथा अन्य रिकार्ड के आधार पर सूचनादाताओं द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करने तथा फैक्ट्री के स्वामी या अधिभोक्ता या फैक्ट्री के प्रभारी व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान या प्रबन्धन, जैसा भी मामला हो, जहां ऐसा रिकार्ड रखा गया है वहां पर स्पष्टीकरण प्राप्त करनें के लिए कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं। सांख्यिकी अधिकारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन ऐसे कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं जो उनमें से किसी फैक्ट्री/प्रतिष्ठान से आंकडे एकत्र करना चाहता हो जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसके प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत न किया गया हो।

(ख) सांख्यिकी अधिकारी प्रत्येक सूचनादाता को आंकडा संग्रहण के उद्देश्य से निर्धारित फार्म में एक माह या जो भी अवधि उचित समझे, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं।

(ग) सांख्यिकी अधिकारी किसी भी सूचनादाता को वेब पोर्टल/ अनुप्रयोग के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए, जो उसके द्वारा सूचनादाता को जारी नोटिस में दर्शायी गई हो, इलेक्ट्रानिक रूप में रिटर्न प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकार प्रदत्त करता है।

7. **न्यायनिर्णायक अधिकारी की शक्तियाँ-** अधिनियम की धारा 15 क के अधीन जाँच करने और जुर्माना लगाने के लिए नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी-

(i) पक्षकारों से शपथ पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य मांगना, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति से भी साक्ष्य मांगना सम्मिलित है, जिसे बुलाया गया हो;

(ii) सुसंगत दस्तावेजों, अभिलेखों या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करना;

(iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। जिला प्रशासन सहित कोई भी उपयुक्त अभिकरण, अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में संदर्भ प्राप्त होने पर ऐसी सहायता प्रदान करेगी।

8. **न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील-**

(1) समुचित सरकार, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पद से ऊपर के अपने किसी भी अधिकारी को अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट है, वह आदेश प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर, प्ररूप-III में अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(3) तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकेगी, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्टि दे दे कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था| यदि अपील न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध की गई है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन अपील के निपटारे तक स्थगित रखा जाएगा।

(4) जब कभी ऐसी अपील प्राप्त होती है, तो अपीलीय प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से या किसी अन्य स्वीकार्य माध्यम से, जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए, सुनवाई करेगा।

(5) अपीलीय प्राधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति (व्यक्तियों) सहित पक्षकारों को सुनवाई की निर्धारित तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व नाम, तिथि, स्थान और सुनवाई के माध्यम के साथ-साथ अपील की प्राप्ति के सुसंगत दस्तावेजों सहित सुनवाई की सूचना जारी करेगा।

(6) सुनवाई की सूचना में पक्षकारों द्वारा लिखित संचार प्रस्तुत करने का भी प्रावधान किया जा सकता है, यदि वे ऐसा चाहें तो, सुनवाई की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले अपील पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत हो सकता है |

(7) सुनवाई की सूचना निम्नलिखित माध्यम से दी जाएगी, अर्थात्:-

(i) स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक द्वारा;

(ii) इलेक्ट्रॉनिक पता उपलब्ध होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा; और सुपुर्दगी का सबूत केस की फाइल के रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

(8) पक्षकार मामले की सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुनवाई के निर्दिष्ट माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है |

(9) अपीलीय प्राधिकारी, जैसा वह उचित समझे, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा |

अनुसूची-I

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन :

1. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2025-26 के माध्यम से संगठित विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, संरचना और ढांचे जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित कार्यकलाप, मरम्मत सेवाएं, गैस और जलापूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं, के बारे में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं ।

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र :

2. वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2025-26 पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है।

आंकड़ा संग्रहण की पद्धति :

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी उसके कार्यक्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सूचना देने की तारीख, जिसे सूचना दी जानी है उस अधिकारी अथवा कार्यालय का नाम, जिस इकाई अथवा जिन इकाइयों के बारे में सूचना दी जानी है, उसका ब्यौरा और प्रपत्र तथा विधि जिसके अनुसार सूचना प्रदान की जानी अपेक्षित है, जिसमें इस उद्देश्य के लिए निरुपित तथा सूचनादाताओं के लिए नोटिस मे दर्शायी गई निश्चित तिथि तक उपलब्ध करवाए जाने वाले वेब पोर्टल/ अनुप्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रुप में सूचना प्रस्तुत करना भी शामिल है का उल्लेख होगा।

सूचनादाताओं का स्वरूप जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाने हैं:

4. सूचनादाता कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों अथवा बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की परिस्थितियां) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठानो या निम्नलिखित में से किसी भी अधिनियम/बोर्ड/प्राधिकरण जैसे कंपनी अधिनियम, **2013**, दूकान तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केन्द्र) के

अन्तर्गत पंजीकृत हैं के मालिक अथवा अधिभोगी या प्रभारी हैं, जिन्हे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, इकाइयों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

5. सांख्यिकी अधिकारी उन दो या दो से अधिक इकाइयों या प्रतिष्ठानों, जो एक ही प्रबन्धन के अधीन राज्य या संघीय क्षेत्र में चल रही हो जिनके बारे में प्रत्येक इकाई के अनुसार अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है तो संबंधित प्रबन्धन के मालिक अथवा अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति को नोटिस जारी कर समेकित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है|

सांख्यिकी संग्रहण का कार्य सम्पन्न करने की अवधि

6. प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और यह आमतौर पर अगस्त, 2026 से जुलाई, 2027 के बीच होगी।

संदर्भ अवधि

7. प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, 01 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई के लेखा वर्ष, जो 01 अप्रैल, 2025 और 31 मार्च, 2026 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के बारे में होगी।

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

8. अपेक्षित सूचना परिसम्पत्तियों और देयताओं, प्राप्तियां, व्यय, निवेश की मदें (स्वदेशी अथवा आयातित), उत्पाद और उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्यय, रोजगार तथा श्रम लागत, कार्य दिवस, कार्य किए गए श्रम दिवस, अनुपस्थिति, श्रम टर्नओवर, कार्य किए गए श्रम घंटे, आय तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है।

भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है

9. सूचनादाता निर्धारित प्रपत्र में हिंदी अथवा अंग्रेजी में सूचना उपलब्ध कराएगा।

सूचनादाता का दायित्व

10. कारखाना या प्रतिष्ठान अथवा प्रबन्धन, जैसा भी मामला हो, का मालिक या अधिभोगी संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में दिए गए तरीके से और तारीख तक सूचना उपलब्ध कराएगा। वह सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित सूचना के संबंध में निरीक्षण के लिए तत्संबंधी रिकार्ड उपलब्ध कराएगा और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देगा।

निरीक्षण किए जाने वाले कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्डों की प्रकृति

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समर्थन में उस इकाई के कारोबारी रिकार्ड जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, मस्टररोल, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन नामावली, निदेशक की रिपोर्ट अथवा कोई अन्य दस्तावेज की जांच कर सकता है।

निरीक्षण का तरीका

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त वर्णित निर्देशों के अनूसार इकाई के कारोबार रिकार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की पुष्टि कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा दखलकार या प्रभारी व्यक्ति अथवा इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से ईकाई प्रांगण में स्पष्टीकरण मांग सकता है।

अनुसूची-II

क्रमसं.	सांख्यिकी अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
1.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	जम्मू तथा कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) और लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), 23, बी/बी, गाँधी नगर, जम्मू-180004.
2.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,	हिमाचल प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), बोसवेल विला, दीपक प्रोजेक्ट के निकट,

	शिमला		पी.ओ. समर हिल, शिमला -171005
3.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली	पंजाब	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), बिल्डिंग न°-418, बल्क मटिरियल मार्केट, सैक्टर-65, फ़ेस-II, एस.ए.एस. नगर, मोहाली-160065
4.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा, एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), छठा तल, केंद्रीय सदन, सेक्टर- 9-ए, चंडीगढ़-160017
5.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), क्षेत्रीय कार्यालय, सांख्यिकी भवन, सी. ब्लाक, चौथा तल, जी.पी.ओ.ए. बिल्डिंग, सी.बी.डी. शाहदरा, कडकडडूमा कोर्ट के निकट, दिल्ली-110032
6.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), 70/149-154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020
7.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	उत्तराखंड	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सी-104-109,द्वितीय तल, वैभव पैलेस, इंद्रा नगर, ITBP रोड, देहरादून, उत्तराखंड- 248006
8.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सेक्टर-11, आईएनएस-IV, विकासनगर, रिंगरोड, लखनऊ-226022
9.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), विजय स्तम्भ, हाल न°-201 व 205, दूसरा तल, म° प° नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011
10.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), द्वतीय तल, भगत माता कर्मा व्यावसायिक परिसर, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छ. ग.) -492001
11.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दादरा तथा नागर हवेली और दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), अर्बन हेल्थ सेंटर के समीप, नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, पुरूषोत्तम नगर, नवा वेडास, अहमदाबाद-380013
12.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	महाराष्ट्र	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), चौथा तल, ए-2/3 विंग, भारतीय रिजर्व बैंक के निकट, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614
13.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), पांचवा तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ऑटोनगर, विजयवाड़ा- 520007
14.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), 293/7, पहली मंजिल, आर°एंड बी° कॉम्प्लेक्स, ए°सी° गाड्र्स,

			हैदराबाद-500004
15.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू	कर्नाटक	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), पांचवां तल, ई. तथा एफ. विंग,केन्द्रीय सदन,17 मेन- द्वितीय ब्लाक, कोरामंगला, बंगलूरू-560034
16.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु, पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), 26, 'बी' विंग, दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हैडास रोड, नंगमबक्कम, चेन्नई-600006
17.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	केरल तथा लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), ब्लॉक-बी., भूतल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पुनकुलम, वेलाइनी, तिरुवनंतपुरम-695522
18.	संयुक्त निदेशक/ निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी	गोवा	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सर्वेक्षण भवन, 1309/1, गोवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पोरवोरिन, बर्देज़, गोवा-403521.
19.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), 7वां तल, ब्लॉक डी एंड ई, कर्पूरी ठाकुर सदन, जी. पी. ओ. ए. भवन, राजीव नगर थाना के नजदीक, आशियाना दीघा रोड, पटना- 800025
20.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची	झारखंड	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), पांचवा तल, जिला परिषद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स (नगर निगम कार्यालय के समीप) कचहरी रोड, रांची-834001
21.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, ई विंग, सेक्टर-1, डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064
22.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भुबनेश्वर	ओडिशा	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, आचार्य विहार, भुबनेश्वर- 751013
23.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	असम	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), तीसरा तल, केन्द्रीय खंड, हाउसफेड काम्प्लेक्स, लास्ट गेट बेल्टोला-बसिष्ठ रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006
24.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, इम्फाल	मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), इम्फाल, चौथा तल , ब्लॉक C, नया सचिवालय (नॉर्थ ब्लॉक), बापूपाड़ा-795001

25.	संयुक्त निदेशक/ निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोहिमा	नागालैंड	एनएसओ (एफओडी), परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन, नागालैंड सिविल सचिवालय के सामने, कोहिमा-797004
26.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	त्रिपुरा तथा मिजोरम	रा.सा.का. (क्षे.सं.प्र.), श्री राम विल्ला, एसबीआई के नजदीक, पी. ओ. कुंजबन, अगरतला, त्रिपुरा-799006

अनुसूची-III

क्रम सं	न्यायनिर्णायक अधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
1.	उपमहानिदेशक, रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), मुख्यालय, दिल्ली	अखिल भारत	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), मुख्यालय, सांख्यिकी भवन, बी. ब्लाक, प्रथम तल, जी.पी.ओ.ए. बिल्डिंग, सी.बी.डी. शाहदरा, कडकडडूमा कोर्ट के नजदीक, दिल्ली-110032

अनुसूची-IV

क्रम सं	अपीलीय प्राधिकारी	कार्यक्षेत्र	पता
1.	अपर महानिदेशक रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), मुख्यालय, दिल्ली	अखिल भारत	रा.सा.का.(क्षे.सं.प्र.), मुख्यालय, सांख्यिकी भवन, डी. ब्लाक, प्रथम तल, जी.पी.ओ.ए. बिल्डिंग, सी.बी.डी. शाहदरा, कडकडडूमा कोर्ट के नजदीक, दिल्ली-110032

[फा. सं. एस-11014/औ. सां./सां. सं. अधि./2017-18-क्षे. सं. प्र. (ई-21523)]

दिनेश कुमार, उपमहानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

S.O. 4627(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017) and through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 No. 18 of 2023 in 2023, read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2024, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Annual Survey of Industries 2025-26', as per the details mentioned in the Schedule-I.

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule-II as Statistics Officers, Adjudicating Officer in Schedule-III and Appellate Authority in Schedule-IV in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction. Each Statistics Officer, Adjudicating Officer and Appellate Authority shall immediately submit an undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2024, to the Additional Director General, Field Operations Division, National Statistics Office, Delhi.

3. The persons authorized by each Statistics Officer, after submission of undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2024 to the Statistics Officer, would be engaged in the geographical jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by informants, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary, from informants. In accordance with these duties, each person authorized would carry a photo identity card and a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer. The Statistics Officer shall keep the undertakings of the authorized persons in his safe

custody and forward a certificate of having obtained the above undertakings to the Office of the Additional Director General, Field Operations Division, National Statistics Office, Delhi.

4. The statistics collected in Part-I of Annual Survey of Industries (ASI) schedule after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Additional Director General, Enterprise Survey Division, National Statistics Office**,** Kolkata and the statistics collected in Part-II of the ASI schedule thereof will be processed by officials working at the Labour Bureau. Subject to the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008 as amended in 2017 (21 of 2017) and through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 No. 18 of 2023 in 2023 and the Collection of Statistics Rules, 2024, the unit level data and the reports, generated from the data through statistical techniques, may be kept in custody and disseminated by the Enterprise Survey Division and the Data Informatics and Innovation Division of this Ministry and the Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment to the users within and outside the Government, the States/UTs and the public at large as per policy guidelines of the Government.

5. All persons engaged in any activity in respect of collection of statistics, processing of data and dissemination with respect to ASI 2025-26 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 as amended in 2017 (21 of 2017) and through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 No. 18 of 2023 in 2023 and the Collection of Statistics Rules, 2024.

6. Following powers have been delegated to the Statistics Officers:

(a) A Statistics Officer is empowered to depute/authorize officials to collect statistics in respect of the aforementioned direction, to verify any information furnished by informants on the basis of business records and other records and to seek clarifications from any owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, at the premises where such records are kept. A Statistics Officer is also empowered to depute/authorize officials under the administrative control of any State Government or Union territory Administration, which is willing to collect statistics from any of those factories/establishment for which the Statistics Officer has not deputed/authorized any official under his administrative control.

(b) A Statistics Officer is empowered to give one month notice or for the period deemed fit to each of the informant for furnishing return in the format, specified for the purpose of collection of statistics.

(c) A Statistics Officer is empowered to provide to any informant, the facility of furnishing return in electronic form through a web-based application/portal for certain period, to be specified by him in the notice to be issued to the informant.

7. Powers of the adjudicating officer- An adjudicating officer appointed under section 15A of the Act to hold an inquiry and impose penalty, shall also have the powers to-

(i) call for oral or written evidence on oath or on affidavit from parties including from any other person who has been summoned;

(ii) peruse or inspect relevant documents, records or copies thereof;

(iii) summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case. Any appropriate agency including the District Administration shall render such assistance on receiving a reference regarding enforcing the attendance of any person while discharging the duties of the adjudicating officer appointed under the Act.

8. Appeal against the order of adjudicating officer-

(1) The appropriate Government may appoint any of its officers, above the rank of adjudicating officer, as an appellate authority under the provisions of the Act.

(2) Whoever aggrieved by the order passed by the adjudicating officer under this Act, may prefer an appeal to the appellate authority, within thirty days from the date of receipt of order, in Form-III.

(3) An appeal may be admitted even after the expiry of the period of thirty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period. In case the appeal has been preferred against the order of the adjudicating officer, the operation of the order of the adjudicating officer shall be kept in abeyance, till the disposal of the appeal.

(4) Whenever, such an appeal is received, the appellate authority shall hold a hearing, either in person or virtual or by any other admissible mode, as may be decided by the appellate authority.

(5) The appellate authority shall issue a notice of hearing to the parties, including persons acquainted with the facts and circumstances of the case, by name, date, venue and mode of hearing, along with the relevant documents of the receipt on appeal, at least fifteen days before the scheduled date of hearing.

(6) The notice of hearing may also provide for submission of written communication, which may be relevant for deciding the appeal, by the parties, if they so desire at least five days before the date of hearing.

(7) The notice of hearing shall be served in the following modes, namely:—

(i) by speed post or registered post;

(ii) by electronic mail in case electronic address is available;

and proof of deliveries shall be kept on the record of the case file.

(8) The parties may be present in person or through his duly authorised representative by the specified mode of hearing as decided by the appellate authority including video conferencing, if the facility of video conferencing is available, at the time of hearing of the case.

(9) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he may think fit.

SCHEDULE-I

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries **2025-26.**

Geographical area for collection of statistics:

2. The Annual Survey of Industries **2025-26** is conducted in the whole of India.

Method of data collection:

3. A Notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats and the manner in which information is required to be furnished, including submission of information in electronic form through a web-based application/portal designed for the purpose and made available to informants up to a certain date, specified in the notice.

Nature of informants for whom data may be collected:

4. The informants are owners or occupiers or persons in-charge, of factories registered under the Factories Act, 1948 or of establishments registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act,1966 or the units registered under any of the following Acts/Boards/Authority viz., Companies Act, 2013, Shops and Commercial Establishments Act, Societies Registration Act, Cooperative Societies Act, Khadi and Village Industries Board, Directorate of Industries (District Industries Centre) who would be issued notice by Statistics Officer for furnishing information under the aforementioned direction.

5. A Statistics Officer may require furnishing of consolidated information in respect of two or more factories or establishments under a single management operating within a State or Union Territory, in case information is not separately available for individual factories or establishments, through a notice issued to the concerned owner or occupier or person in-charge of the management.

Period during which collection of statistics may be completed:

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and would generally fall during **August, 2026 to July, 2027**.

Reference period:

7. Information is required to be furnished for the financial year commencing from **1st April 2025** and ending on **31stMarch 2026** or for the Accounting Year of a unit ending on any date between **1st April 2025** and **31st March 2026**.

Nature of information to be collected:

8. The information required relates to assets and liabilities, receipts, expenses, input items (indigenous and imported), products and by-products, distributive expenses, employment and labour cost, working days, man-days worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

Language in which information is to be furnished by informant:

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

Obligation of informant:

10. An owner or occupier or person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other document in support of the information furnished may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished under the aforementioned direction on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications, at the premises where such records are kept, from the concerned owner or occupier or a person in-charge of a factory or establishment or management, as the case may be, or a person authorized by him of the unit.

SCHEDULE-II

S.No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
1.	Deputy Director General, Regional Office, Jammu	Jammu & Kashmir (UT) & Ladakh (UT)	NSO(FOD), 23 B/B, Gandhi Nagar, Jammu-180004.
2.	Deputy Director General, Regional Office, Shimla	Himachal Pradesh	NSO (FOD), Bosewell Villa, Near Deepak Project, PO Summer Hill, Shimla-171005.
3.	Deputy Director General, Regional Office, Mohali	Punjab	NSO (FOD), Building No. 418, Bulk Material Market, Sector-65, Phase-11, SAS Nagar, Mohali-160065.
4.	Deputy Director General, Regional Office, Chandigarh	Haryana & Chandigarh (UT)	NSO(FOD), 6th floor, Kendriya Sadan, Sec-9A, Chandigarh -160017.
5.	Deputy Director General, Regional Office, Delhi	Delhi	NSO (FOD), Regional Office, Sankhyiki Bhawan, C-Block, 4th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, near Karkardooma Court Delhi-110032.
6.	Deputy Director General, Regional Office, Jaipur	Rajasthan	NSO(FOD), 70/149-154, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020.
7.	Deputy Director General, Regional Office, Dehradun	Uttarakhand	NSO(FOD), C-104-109, 2nd Floor, Vaibhav Palace, ITBP Road, Dehradun, Uttrakhand-248006
8.	Deputy Director General, Regional Office, Lucknow	Uttar Pradesh,	NSO(FOD), INS-IV, Sector-11, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022.
9.	Deputy Director General, Regional Office, Bhopal	Madhya Pradesh	NSO(FOD), Vijay Stambh, Hall No. 201 & 205, 2nd Floor, M.P. Nagar, Zone-I, Bhopal-462011.
10.	Deputy Director General, Regional Office, Raipur.	Chhattisgarh	NSO (FOD), 2nd Floor, Bhakta Mata Karma Commercial Complex, New Rajendra Nagar, Raipur-492001
11.	Deputy Director General, Regional Office,	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli &	NSO (FOD), Near Urban Health Centre,

	Ahmedabad	Daman and Diu (UT)	Behind Narayanpura Police Station, PurshotamNagar, NavaVadas, Ahmedabad-380013.
12.	Deputy Director General, Regional Office, Mumbai	Maharashtra	NSO (FOD), 4th Floor, A-2/3 Wing, Near RBI CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
13.	Deputy Director General, Regional Office, Vijayawada	Andhra Pradesh	NSO(FOD), 5th floor, C.G.O. Complex, Industrial estate, Autonagar, Vijayawada-520007
14.	Deputy Director General, Regional Office, Hyderabad	Telangana	NSO (FOD), 293/7, 1st Floor, R&B Complex, A.C. Guards, Hyderabad-500004.
15.	Deputy Director General, Regional Office, Bengaluru	Karnataka	NSO (FOD), V Floor, E&F Wing, Kendriya Sadan, 17 Main-2nd Block, Koramangala, Bengaluru-560034.
16.	Deputy Director General, Regional Office, Chennai	Tamil Nadu, Puducherry (UT) and Andaman & Nicobar Islands (UT)	NSO (FOD), 'B' Wing, II Floor, III Block, Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006.
17.	Deputy Director General, Regional Office, Thiruvananthapuram	Kerala and Lakshadweep (UT)	NSO (FOD), Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam, Vellayani P.O., Thiruvananthapuram -695522.
18.	Joint Director/ Director, Regional Office, Panaji	Goa and	NSO(FOD), Sarvekshana Bhavan, 1309/1, Goa Housing Board Colony, Porvorin, Bardez, Goa-403521.
19.	Deputy Director General, Regional Office, Patna	Bihar	NSO(FOD), 7th Floor, Block- D & E, Karpuri Thakur Sadan, GPOA Building, Near Rajiv Nagar Thana, Ashiyana Digha Road, Patna– 800025.
20.	Deputy Director General, Regional Office, Ranchi	Jharkhand	NSO (FOD), 5th Floor, Zila Parishad Mkt. Complex, Beside Ranchi Nagar Nigam, Kutchery Road, Ranchi -834001
21.	Deputy Director General, Regional Office, Kolkata	West Bengal	NSO (FOD), CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, DF Block, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064.
22.	Deputy Director General, Regional Office, Bhubaneshwar	Odisha	NSO (FOD), Commercial Complex, 1st Floor, Acharya Vihar, Bhubaneswar-751013.
23.	Deputy Director General, Regional Office, Guwahati	Assam	NSO (FOD), 3rd Floor, Central Block, Housefed Complex, Last Gate, Beltola-Basistha Road, Dispur, Guwahati-781006.
24.	Deputy Director General, Regional Office, Imphal	Manipur, Meghalaya, Arunachal	NSO FOD IMPHAL 4th floor Block C, New Secretariat (North block), Babupara -795001

		Pradesh, and Sikkim	
25.	Joint Director/Director, Regional Office, Kohima	Nagaland	NSO(FOD), Transport Commissioner's Office Building. Opposite Nagaland Civil Secretariat, Kohima-797004
26.	Deputy Director General, Regional Office, Agartala	Tripura and Mizoram	NSO(FOD), Sree Ram villa, near SBI, PO Kunjaban Agartala, Tripura-799006

SCHEDULE-III

S.No.	Adjudicating Officer	Jurisdiction	Address
1.	Deputy Director General, NSO(FOD), HQ., Delhi	All India	NSO (FOD) Hq, Sankhyiki Bhawan, B-Block, 1th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Delhi-110032.

SCHEDULE-IV

S.No.	Appellate Authority	Jurisdiction	Address
1.	Additional Director General, NSO(FOD), HQ., Delhi	All India	NSO (FOD) Hq, Sankhyiki Bhawan, D-Block, 1th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Delhi-110032.

[F. No. S-11014/IS/COSA/2017-18-FOD (E-21523)]

DINESH KUMAR, Deputy Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.08.24 15:45:32 +05'30'